	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-11-2025	पत्रावली पेश हुई।	

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 4 से 12 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल रहे।

दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थी वकील की बहस है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 970 रकबा 3.7797 हैक्टेयर भूमि ग्राम पीपलून तहसील सिवाना में अवस्थित है। प्रार्थी विवादित भूमि का रेकडेर्ड खातेदार है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है, प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है।लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि का नेखमबंदी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विप्रार्थी अधिवक्ता का कथन किया कि विप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थी के खातेदारी भूमि की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं किया, विप्रार्थीगण के पूर्वज पिता प्रतापा पुत्र जवारा को दिनांक 23.12.1978 को 15 बीघा भूमि आंवटित हुई थी,परन्तु मौके पर 6 बीघा भूमि कम पड रहीं है। विप्रार्थीगण के पूर्वज को जितनी भूमि आवंटित हुई उससे कम 2.2764 अर्थात 9 बीघा ही कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है विप्रार्थी वकील ने जरिये काउण्टर क्लेम अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 881 व 968 का पत्थरगढी व सीमाज्ञान किया जाना हेतु निवेदन किया।

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन एवं मनन किया।

राजस्व रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित भूमि का रेकडेर्ड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर काबिज होने को उतारू रहते है।

अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जा[illegible]पत्ति प्रतीत नहीं होती है। जहां तक विप्रार्थी द्वारा जरिये काउण्टर क्लेम [illegible] की खातेदारी भूमि का पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है विप्रार्थी नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर[illegible] की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी व सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पीपलून तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

सिवाना की खसरा संख्या 970 रकबा 3.7797 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 2000/— रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे।तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2025 / 1965 | दिनांक : 12.11.2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
हडमाना पुत्र खेताराम		डायाराम पुत्र प्रतापाराम वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी

राजस्व आवेदन सं. 296 / 2025 | दिनांक :– 12.11.25

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम पीपलून तहसील सिवाना की खसरा संख्या 970 रकबा 3.7797 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस रूपये 2000 / –प्रार्थीगण मौके पर अदा करे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हे सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांकः वाचक / 2025 / 1966-1969 | दिनांक : 12.11.2025

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी गोलिया तहसीलदार सिवाना द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. प्रार्थी हडमाना पुत्र खेताराम जाति रबारी निवासी पीपलून तहसील सिवाना जिला बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:44:05 IST
Reason: SelfAttested